राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः–प. 5(51)कार्मिक/क–2/88 पार्ट   जयपुर, दिनांकः– 13-05-2011

1– समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव
2– समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स सहित)।

परिपत्र

विषयः– अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत नियुक्त विधवा महिलाओं को टंकण परीक्षा से मुक्त किये जाने के संबंध में।

राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रित को पात्रता अनुसार नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है। उक्त नियमों के नियम–9 के अन्तर्गत एवं कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 3(67)कार्मिक/क–2/84 दिनांक 31.7.99 के अनुसार नियुक्त आश्रित को राजकीय सेवा में कार्यग्रहण तिथि से 3 वर्ष की अवधि में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रावधान है। कार्मिक विभाग द्वारा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07.09.09 जारी की गई है, जो आश्रित विधवा महिलाओं को टंकण परीक्षा से छूट के संबंध में है। उक्त अधिसूचना के कियान्वयन के संबंध में कई नियुक्ति प्राधिकारियों एवं विभागाध्यक्षों द्वारा समय–समय पर प्रकरण कार्मिक विभाग को राय/मार्गदर्शन हेतु प्राप्त होते रहते हैं।

इस परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अधिसूचना दिनांक 07.09.09 राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत उन सभी आश्रित विधवा महिलाओं पर लागू हैं जो कि दिनांक 07.09.09 से पूर्व एवं पश्चात नियुक्त हुई हैं/होगीं, ऐसी सभी आश्रित विधवा महिलाऐं टंकण परीक्षा से मुक्त होंगी।

अतः समस्त विभागाध्यक्ष एवं नियुक्त प्राधिकारियों को व्यादिष्ट किया जाता है कि उक्त दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

(खेमराज)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर, जयपुर।
5. पंजीयक, राज0 सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर
6. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राज0 जयपुर।
5. एसीपी,, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
6. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

16/2011